प्रारुप–2.1

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में मूलगढ ठेला गण्डराखाल मोटर मार्ग का भेलगढी से पांडवगांव तक विस्तार कार्य । (लम्बाई–6.825 कि0मी0)

प्रतिवेदन

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आय और उत्पादन रोजगार अवसरों के अधिक मात्रा में सृजन एवं स्थायी रूप से गरीबी निवारण करने के उद्देश्य से पर्वतीय क्षेत्र में आवादी वाली असंयोजित बसावट को किसी भी बाहरमासी सम्पर्क मार्ग से जोडने का कार्य सम्मलित किया गया है। उक्त कम में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या– 2171/III(2) /16–09(एम0एल0ए0)/2016 दिनांक– 19.07.2016 द्वारा स्वीकृति (लम्बाई– 9.50 कि0मी0) हेतु लागत 29.34 लाख प्राप्त हुई।

उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग उक्त मोटर मार्ग ठेला–गण्डराखाल मोटर मार्ग के कि0मी0–5.00 (भेलगढी) से समरेखण प्रारम्भ होता है। तथा मन्दार बचनयो गांव को जोडते हुये बणतोली में मिलेगी। जिनकी आबादी लगभग 1241 है। प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण से ग्रामसभा– मन्दार ,बचनयो , बणतोली के ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा होगी। उक्त मोटर मार्ग प्रस्तावित स्यालसौड से बणतोली तक मोटर मार्ग मे मिलेगी जिससे विकास खण्ड भिलंगना एवं विकास खण्ड कीर्तिनगर की जनता को एक विकास खण्ड से दुसरे विकास खण्ड आने जाने की सुविधा होगी। यह मोटर मार्ग रिंग रोड कार्य करेगा एवं क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा।

उल्लेखनीय है कि पर्वतीय क्षेत्रों में कास्तकारों की नाप भूमि की अतिरिक्त समस्त प्रकार की भूमि को वन भूमि श्रेणी में लिया गया है। इस मार्ग के समरेखण में मार्ग के निर्माण में 4.174 हे0 आरक्षित वन भूमि, (मार्ग के निर्माण हेतु 4.084 हे0 एवं मलवा निस्तारण हेतु 0.09 हे0) 0.273 हे0 सिविल भूमि एंव 0.666 हे0 नाप भूमि (मार्ग के निर्माण हेतु 0.540 हे0 एवं मलवा निस्तारण हेतु 0.129 हे0) प्रभावित हो रही है जो कि न्यूनतम एव अप्रिहार्य है वन भूमि हस्तान्तरण करने हेतु वन संरक्षक अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

सर्वेक्षण के उपरान्त इस मार्ग के निर्माण हेतु दो समरेखणों पर विचार किया गया है। जिन्हे प्रस्ताव में संलग्न रंगीन गुगल मानचित्र में अलग–अलग रंग से दर्शाया गया है। उक्त को ध्यान में रखते हुये समरेखण नं0–2 को निरस्त कर समरेखण नं0–1 को अनुमोदित किया गया है इन दोनो संमेरखणों का भू–वैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है। एवं उनके द्वारा समरेखण नं0–1 को मार्ग निर्माण हेतु तकनीकी, पर्यावरणीय एवं भू–गर्भीय दृष्टि से उपर्युक्त पाया गया है। ;भू–वैज्ञानिक रिपोर्ट की आख्या की छाया प्रति संलग्न अतः लोक निर्माण विभाग के मानकों के अनुसार आने वाले आरक्षित वन भूमि 4.174 है0 व सिविल सोयम भूमि 0.273 है0 कुल वन भूमि – 0.666 है0 वन भूमि को हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

कनिष्ठ अभियन्ता,	सहायक अभिन्ता,	अधिशासी अभियन्ता,
अ0ख0,लो0नि0वि0,घनसाली	अ0ख0,लो0नि0वि0,घनसाली	अ0ख0,लो0नि0वि0,घनसाली

Scanned with CamScanner